क्षेत्रीय कार्यालय,
REGIONAL OFFICE,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA

LiFE Lifestyle for Environment

संदर्भ संख्याः–
Ref.No.: G0727/O.A. No. 464/2024

दिनांकः–
Date: 19 .07.2024

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg,
New Delhi.
E-mail-judicial-ngt@gov.in

Sub:- Submission of status report in pursuant to order dated 07.05.2024 passed by Hon'ble NGT in the matter of Original Application No. 464/2024, Sampurna Nand Vs M/s Shri Krishna Stone Crusher & Ors.

Sir,

In Compliance of Hon'ble NGT order dated 07.05.2024 in the matter of O.A. No. 464/2024, Sampurna Nand Vs M/s Shri Krishna Stone Crusher & Ors, the status report is being filed herewith.

It is requested that status report may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Encl.: As above.

Yours faithfully,

19/07/2024

(U.K. Gupta)
Regional Officer
Sonbhadra.

Endt. No. & date as above.
Copy to:-
1. District Magistrate, Mirzapur for kind information please.
2. Chief Environmental Officer (Circle-2), U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information & necessary action please.
3. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information and necessary action please.
4. Shri Pradeep Mishra, Advocate, Supreme Court, 138, New Lawyer's Chamber, Supreme Court of India, New Delhi-110001.

Regional Officer
Sonbhadra.

कार्यालय : मकान संख्या 162, उत्तर मोहाल (निकट चण्डी होटल)
राबर्ट्सगंज, सोनभद्र–231216
ई–मेल : rosonbhadra@uppcb.in

Office: House No. 162, Uttar Mohal (Near Chandi Hotel)
Robertsganj, Sonbhadra-231216
E-mail: rosonbhadra@uppcb.in

Status Report in pursuant to order dated 07.05.2024 passed by Hon'ble NGT in the matter of OA No.464/2024 Sampurna Nand Versus M/s Shri Krishna Stone Crusher & Ors.

1. As per joint committee report dated 06.07.2023 and dated 06.01.2024,UPPCB had issued Show-Cause Notice to the said Stone Crushers vide Letter dated-12.01.2024, which was got received to concerned Stone Crusher on dated 19.01.2024(Annexure-1).
2. The presentation of the industry against show-cause notice was not received in the Regional Office, UPPCB, Sonbhadra.
3. UPPCB conducted field visit on dated 08.02.2024 to verify complying status of CTO and observed that the following major air pollution control measures have been adopted by the industry:-

<table>
<tr><th>S.NO.</th><th>Major Air Pollution Control measures</th><th>Installation Status</th><th>Remark and Action Taken</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Closed metal sheet enclosures at dust emitting points.</td><td>Partially Covered</td><td rowspan="7">As per inspection report dated 08.02.2024, UPPCB issued closure order on dated 19.02.2024 after confirmation of show-cause notice and revoking CTO.
UPPCB has imposed the environmental compensation on the said stone crusher for past violation and defaulting days, which amount has not deposited by the industry.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Covering of all conveyor belts.</td><td>Covered</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Telescopic discharge chute or Canvas cloth / plastic drum</td><td>NO</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Wind breaking wall around the premises.</td><td>NO</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Water sprinklers at emitting point and wind breaking wall.</td><td>NO</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Smog gun and Rain Gun as dust suppression mechanism.</td><td>NO</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Height of exhaust pipe of DG Set.</td><td>NO</td></tr>
</table>

4. Detail Inspection report dated-08.02.2024 is attached herewith (Annexure-2).

5. As per inspection report dated 08.02.2024, UPPCB issued closure order on dated 19.02.2024 after confirmation of show-cause notice and revoking the CTO. However, UPPCB has imposed the environmental compensation of Rs. 9,12,1500/- on the said stone crusher for past violation and defaulting days, which amount has not deposited by the industry(Annexure-3 & 4).
6. The presentation of the industry against closure order dated 19.02.2024 has not received.

The above accordingly, status reportis being filed for the kind perusal and consideration of this Hon'ble Tribunal.

Dated: 19.07.2024

(U.K. Gupta)
Regional Officer
U.P.P.C.B
Sonbhadra

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No 1105604 -C-2/WOT-67/SCN/24

दिनांक
Date 12/1/24

सेवा में, पंजीकृत

M/S SHRIKRISHNA STONE CRUSHER,
BHAGAUTI DEI PATHATTA, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि उद्योग M/S SHRIKRISHNA STONE CRUSHER, BHAGAUTI DEI, PATHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन गिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार निरीक्षण के समय उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाईन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित नहीं पायी गयी। उद्योग द्वारा प्रक्रिया से जनित उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किये जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31–ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित मे जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:–

1. यह कि क्यों न उद्योग M/S SHRIKRISHNA STONE CRUSHER, BHAGAUTI DEI, PATHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओ को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरूद्ध उल्लघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रूपये 6250/– प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मे प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्राप्त किया
पंकज
19-1-2024
9415683691

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C. 12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

Annexure No.2

क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र
REGIONAL OFFICE, U. P. POLLUTION CONTROL BOARD, SONBHADRA

संदर्भ सं0 जी0 005 / OA NO-521/S.C./2024 दिनांक–08.02.2024

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–2)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी0सी0–12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ।

विषयः मेसर्स श्रीकृष्णा स्टोन क्रशर, ग्राम–भगौतीदेई, पोस्ट–पटिहट्टा, परगना–भगवत, तहसील–चुनार, जनपद मीरजापुर के विरूद्ध राज्य बोर्ड द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम्, 1981(यथासंशोधित) की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में अद्यतन निरीक्षण आख्या का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय लखऊ के सदंर्भ संख्या–एच05684 / सी–2 / एन0जी0 टी0–67 / एस0सी0एन0 / 24 दिनांक–12.01.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से संदर्भित उद्योग के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम् 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी है एवं अधोहस्ताक्षरी को अद्यतन निरीक्षण आख्या प्रेषित किये जाने के निर्देशों के साथ पृष्ठांकित है। प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक–08.02.2024 को किया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या मूलरूप में सादर अवलोकनार्थ संलग्न है। निरीक्षण आख्यानुसार उद्योग समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित किये बिना संचालित है तथा उद्योग द्वारा सहमति शर्तो का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। तत्क्रम में उद्योग को राज्य बोर्ड से जारी सहमति आदेश दिनांक–27.07.2022 को इस कार्यालय के पत्र दिनांक–08.02.2024 द्वारा रिवोक किया जा चुका है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में इस पत्र के साथ संलग्न विस्तृत निरीक्षण आख्या में निहित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त संदर्भित उद्योग मेसर्स–श्रीकृष्णा स्टोन क्रशर, ग्राम–भगौतीदेई, पोस्ट–पटिहट्टा, परगना–भगवत, तहसील–चुनार, जनपद मीरजापुर के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम् 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31–ए के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय लखनऊ के उपरिसंदर्भित पत्र दिनांक–12.01.2024 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की जाती है तथा उद्योग पर 146 दिनों की डिफाल्टर अवधि हेतु रू0 09,12,500.00 (नौ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) धनराशि की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

08/02/2024

(यू0के0 गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

मेसर्स श्री कृष्णा स्टोन क्रशर, ग्राम–भगौतीदेई, पो0–पटिहट्टा, परगना–भगवत, तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर के विरूद्ध राज्य बोर्ड द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में अद्यतन निरीक्षण आख्या:–

उक्त संदर्भित उद्योग मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य प्रकरण में आच्छादित है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन हेतु जिलास्तरीय समिति द्वारा उपरोक्त उद्योग का निरीक्षण दिनांक–28.12.2023 से दिनांक–30.12.2023 तक के मध्य की अवधि में किया गया था। तत्क्रम में निरीक्षण आख्या के आधार पर उद्योग को राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के संदर्भ संख्या– HO5684/C-2/NGT-67/SCN/24 दिनांक–12.01.2024 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जो उद्योग को सम्बोधित एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को पृष्ठांकित है। तत्पश्चात् उद्योग को निर्गत कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग को प्राप्त करायी जा चुकी है। अग्रेतर उद्योग का प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं है। उद्योग का अद्यतन निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक–08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों एवं कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:–

1. उक्त उद्योग ग्राम व पोस्ट–सोनपुर, परगना–भगवत, तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर के आराजी संख्या–183 व 188 पर होना सूचित है। उद्योग का जिओ को–आर्डिनेट्स **25.047996**–अक्षांश एवं **82.980422**–देशान्तर है।
2. उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में स्टोन बोल्डर्स का प्रयोग कर विभिन्न साईज की स्टोन ग्रिट्स का उत्पादन किया जाता है। उद्योग की स्टोन ग्रिट की उत्पादन क्षमता 100000 टन/वर्ष सूचित है। उद्योग संचालित अवस्था में पाया गया।
3. निरीक्षण के समय उद्योग के संयंत्र यथा–प्राइमरी 'जॉ' क्रशर, सेकेण्ड्री 'जॉ' क्रशर, वाइब्रेटिंग स्क्रीन्स, कन्वेयर बेल्ट्स के अन्तिम छोर आंशिक कवर्ड पाये गये। डस्ट उत्सर्जन के स्रोत यथा–कन्वेयर बेल्ट्स के अन्तिम छोरों पर कैनवास क्लाथ/टेलिस्कोपिक सूट की स्थापना निरीक्षण के समय नहीं पायी गयी।

क्रमशः 2/पर....

Scanned with OKEN Scanner

(2)

4. उद्योग में कन्वेयर बेल्ट्स के अन्तिम छोरों पर वॉटर स्प्रिंक्लिंग की व्यवस्था निरीक्षण के समय स्थापित नहीं पायी गयी। वॉटर स्प्रिंक्लिंग में प्रयुक्त जल खपत की मात्रा के मापन हेतु फ्लो मीटर निरीक्षण के समय स्थापित पाया गया, किन्तु वॉटर मीटर का सतत् संचालन सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित लॉगबुक का रख–रखाव नहीं पाया गया एवं निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी।

5. उद्योग परिसर में मेटल/कंक्रीट रोड का निर्माण नहीं पाया गया।

6. उद्योग परिसर के कुछ भाग पर पौधों का रोपण निरीक्षण के समय पाया गया, किन्तु राज्य बोर्ड के आदेश दिनांक–16.02.2018 के अनुपालन में सहमति शर्तो के अनुरूप उद्योग परिसर में हरित पट्टिका विकसित नहीं पायी गयी।

7. उद्योग में विद्युत आपूर्ति हेतु 320 के0वी0ए0 क्षमता का एक अदद डी0जी0 सेट स्थापित पाया गया। डी0जी0 सेट के संचालन के फलस्वरूप उत्पन्न गैसीय उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु इक्जॉस्ट पाइप की ऊँचाई राज्य बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप निरीक्षण के समय स्थापित नहीं पायी गयी।

8. उद्योग को राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या उद्योग द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है। अधिकतर सहमति शर्तो का अनुपालन उद्योग द्वारा नहीं किया जा रहा है। तत्सम्बन्धी विस्तृत विवरण आख्या के साथ संलग्न है।

9. उद्योग का निरीक्षण पूर्व में समिति द्वारा किया गया था। समिति की आख्यानुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं को स्थापित किये बिना उद्योग संचालित किये जाने एवं सहमति शर्तो का उल्लंघन किये जाने के आलोक में उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–31'ए' के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–HO5684/C-2/NGT-67/SCN/24 दिनांक–12.01.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

10. उद्योग को राज्य बोर्ड से निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक–12.01.2024 के अनुक्रम में उद्योग का प्रतिउत्तर प्राप्त हुआ है, जो संतोषजनक प्रतीत नहीं होता है।

11. उद्योग द्वारा उद्योग को राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश (जल एवं वायु) दिनांक–27.07.2022 में अधिरोपित शर्तो का उल्लंघन किये जाने के आलोक में उक्त उद्योग को राज्य बोर्ड के संदर्भ सं0–160311/UPPCB/ Sonebhadra(LAB)/CTO/both/MIRZAPUR/2022 दिनांक–27.07.2022 द्वारा जारी सहमति आदेश को रिवोक इस कार्यालय के पत्र दिनांक–08.02.2024 द्वारा किया जा चुका है।

12. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य के प्रकरण में उद्योग का निरीक्षण पूर्व में दिनांक–19.06.2023, 29.06.2023 एवं 01.07.2023 को जिलास्तरीय समिति द्वारा किया गया था। तत्क्रम में जिलास्तरीय समिति की हस्ताक्षरित आख्या दिनांक–06.07.2023 के अनुसार उद्योग पर्याप्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें स्थापित किये बिना संचालित पाया गया। तत्पश्चात् जिलास्तरीय समिति द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक–28.12.2023, दिनांक–29.12.2023 एवं दिनांक–30.12.2023 को किया गया। तत्सम्बन्ध में जिलास्तरीय समिति की हस्ताक्षरित आख्या दिनांक–06.01.2024 के अनुसार उद्योग सहमति शर्तो का उल्लंघन कर संचालित पाया गया। उक्त प्रकरण में उद्योग के उत्पादन कार्य को बन्द कर उद्योग की मशीनरी को दिनांक–23.08.2023 को सील किया गया था। उक्त के पश्चात् उद्योग के उत्पादन कार्य प्रारम्भ करने हेतु दिनांक–02.11.2023 को राज्य बोर्ड द्वारा अनुमति प्रदान की गयी थी, जिसके फलस्वरूप 72 दिनों की अवधि में उद्योग का उत्पादन कार्य बन्द होने का तथ्य प्रकाश में आया है। इस प्रकार जिलास्तरीय समिति की हस्ताक्षरित आख्या दिनांक–06.07.2023 से अद्यतन निरीक्षण दिनांक–08.02.2024 तक अर्थात् **218** दिनों तक की अवधि में से 72 दिनों की उत्पादन कार्य बन्द होने की अवधि को छोड़कर अवशेष **146** दिनों की अवधि को डिफाल्टर अवधि में गणना किया जाना उचित है तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों दिनांक–08.02.2019 के अनुसार के अनुसार उद्योग पर डिफाल्टर अवधि अर्थात् 146 दिनों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निम्न गणनानुसार अधिरोपित किया जाना उचित होगाः–

क्रमशः 3/पर....

Scanned with OKEN Scanner

(3)

Environmental Compensation (EC) = Pollution Index (PI) x No. of days from which the non-compliance has been observed (N) x Factor in Rupees (R) x Factor for scale of operation(S) x Location Factor (LF).

Where,

PI=50 (**Pollution Index=**50 for orange category unit)
N =146 (No. of days from which the non-compliance has been observed)
R = 250 (R factor in Rupees)
S = 0.5 (Factor for scale of operation=**0.5** as investment of unit is less than Rs.50 Lac(0.5 for small scale unit)
LF=1.0 (Location Factor= **1.0 as population of Vill. Sonpur, Bhagautidei, Chakjata etc., Chunar, Mirzapur is below 10 lac**. (LF is 1.0 for population less than 10 lac)

Therefore,

Environmental Compensation(EC) = PI x N x R x S x LF
= 50 x 146 x 250 x 0.5 x 1.0
= Rs. 9,12,500/-(Rs. Nine Lacs twelve thousand five hundred) only.

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त संदर्भित उद्योग मेसर्स श्री कृष्णा स्टोन क्रशर, ग्राम–भगौतीदेई, पो0–पटिहट्टा, परगना–भगवत, तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–31'ए' के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–HO5684/C-2/NGT-67/SCN/24 दिनांक–12.01.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की जाती है। अग्रेतर उपरोक्त गणनानुसार उद्योग पर **146** दिनों की डिफाल्टर अवधि हेतु **रू0 9,12,500.00** धनराशि की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

08/02/2024
(यू0के0 गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०
Ref. No. H07224/C-2/NGT-67/24
दिनॉक
Date 19-2-24
पंजीकृत
सेवा में,

M/S SHRIKRISHNA STONE CRUSHER,
BHAGAUTI DEL PATIHATTA, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि **M/S SHRIKRISHNA STONE CRUSHER, BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR.** जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। स्टोन क्रशर इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में स्टोन क्रशर इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा स्टोन क्रशर इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि **M/S SHRIKRISHNA STONE CRUSHER, BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR** में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विघुत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 दिनॉक
Ref. No H07242/C-2/NGT-67/24 Date: 19-02-2024

सेवा में,
M/S SHRIKRISHNA STONE CRUSHER,
BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, CHUNAR,
MIRZAPUR.

विषय: M/S SHRIKRISHNA STONE CRUSHER, BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR. के विरूद्ध **पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के अनुक्रम में जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 26 स्टोन क्रशर इकाईयों को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में आपकी स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र की निरीक्षण आख्यानुसार आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तो का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा आपकी स्टोन क्रशर इकाई द्वारा समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित किये जाने तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तो का अनुपालन नहीं किया जाने के कारण स्टोन क्रशर इकाई के विरूद्ध 146 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 6250/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 9,12,500/–(रू0 नौ लाख बारह हजार पॉच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त स्टोन क्रशर इकाई M/S SHRIKRISHNA STONE CRUSHER, BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR. पर रू0 9,12,500/–(रू0 नौ लाख बारह हजार पॉच सौ मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0ए0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)